



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-590/JH/25/2022-ESDW

दिनांक: 02.06.2023

सेवा में,


श्री गुरदीप सिंह,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
एन. टी. पी. सी. लिमिटेड,
एन. टी. पी. सी. भवन,
स्कोप कॉम्प्लेक्स, इंस्टीटूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ई-मेल: ntpccc@ntpc.co.in

विषय: झारखंड राज्य के अंतर्गत हजारीबाग जिले के अंचल केरेडारी के ग्राम नवाडीह में एन. टी. पी. सी. लिमिटेड कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई खाता सं 4,5,6,9, व 20 की भूमि का मुआवजा भूमि के असली मालिकों को दिया जाने के संदर्भ में श्री किसन गंझु, ग्राम नौडीहा गोढ़वार, पोस्ट-सराढ़ू, थाना-तंडला, जिला-चतरा, झारखंड की ओर से प्राप्त दिनांक 29.07.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आपके पत्र सं. 01/CMD/SES:304 दिनांक 01.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करें। निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामलों में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 05.06.2023 को 04:00 बजे होने वाली सिटिंग/सुनवाई को दिनांक 15.06.2023 को 03:30 बजे पुनर्निर्धारित कर दिया है।

2. निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है की सुनवाई हेतु सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर सुनवाई/सिटिंग में उपस्थित होने का कष्ट करें।


02.06.2023
(डा. जयंत सरोदे)
निदेशक